न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22/2021 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री मनोहर लाल पुत्र श्री जगन लाल गुप्ता विक्रेता एवं मालिक
मैसर्सः— जगन लाल कज्जूमल, उदयपुरा रोड, मेहन्दीपुर बालाजी तह. सिकराय जिला दौसा।
2. श्री शंकर लाल डंगायच प्रोपराईटर
मैसर्सः— ओमप्रकाश एण्ड कम्पनी, 75, चान्दपोल बाजार जयपुर।
3. श्री जितेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद नोमिनी
M/S- Goodhealth Industries Pvt. Ltd. Infront Softa Govt. School. Softa Road, Vill Softa, Tehsil & Distt. Palwal(Haryana)
4. **M/S- Goodhealth Industries Pvt. Ltd. Infront Softa Govt. School. Softa Road, Vill Softa, Tehsil & Distt. Palwal(Haryana)**

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति :खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित।
:श्री अभिनन्दन गुप्ता व मयंक गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 लगा. 3 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.04.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.11.2020 को दोपहर 02:00 बजे मैसर्सः— जगन लाल कज्जूमल, उदयपुरा रोड, मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मनोहर लाल पुत्र श्री जगन लाल गुप्ता उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक रैक में 36 पैकिट 500 ग्राम पैकिंग में पैक घी(डेयरी बेस्ट) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, इसमे मिलावट का शक होने पर इनमे से नमूने की जांच हेतु चार मूल पैक 500 ग्राम घी(डेयरी बेस्ट) खरीदा। जिसकी कीमत 700 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी(डेयरी बेस्ट) के चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2540 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर **प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद** पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री **महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.12.2020 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां** एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 01.12.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 01.12.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ घी(डेयरी बेस्ट) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1202/एक्ट/2020/20 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया **तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।**

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1202/एक्ट/2020/20 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(डेयरी बेस्ट) के लेबल पर **"BEST BEFORE 12 MONTHS FROM MONTH OF PACKAGING"** प्रिन्ट किया गया है। जिसके स्थान पर **"BEST BEFORE 12 MONTHS FROM PACKAGING"** अथवा **"BEST BEFORE 12 MONTHS FROM MANUFACTURE"** अंकित प्रिन्ट होना चाहिये। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ घी(डेयरी बेस्ट) का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं. 1 लगायत 3 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी(डेयरी बेस्ट) का सैम्पल जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया था वह सभी मानको पर खरा पाया गया है। परन्तु खाद्य पदार्थ के लेबल पर खाद्य सुरक्षा एक्ट में जो फार्मेट दे रखा है उस अनुसार **"BEST BEFORE 12 MONTHS FROM PACKAGING** अथवा **"BEST BEFORE 12 MONTHS FROM MANUFACTURE"** अंकित होना चाहिए था। केवल मात्र नमूने के लेबल पर बेस्ट बिफोर सही फार्मेट में नही लिखा होने से ही नमूना मिसब्राण्ड कर दिया गया है।। **उक्त मिसब्राण्डिंग का कोई औचित्य ही नहीं है। इस प्रकार केवल मात्र लेबल पर बेस्ट बिफोर सही फार्मेट में अंकित नहीं होने से खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाये जाने के कारण अप्रार्थी अभियुक्तगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी भी तरह के दण्ड के अधिकारी नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1202/एक्ट/2020/20 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(डेयरी बेस्ट) के लेबल पर **"BEST BEFORE 12 MONTHS FROM MONTH OF PACKAGING"** प्रिन्ट किया गया है। जबकि नियमानुसार खाद्य पदार्थ के लेबल पर **"BEST BEFORE 12 MONTHS FROM PACKAGING** अथवा **"BEST BEFORE 12 MONTHS FROM MANUFACTURE"** अंकित होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त खाद्य पदार्थ घी(डेयरी बेस्ट) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ के लेबल पर नियानुसार संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ घी(डेयरी बेस्ट) का विक्रय किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ घी(डेयरी बेस्ट) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 श्री मनोहर लाल पुत्र श्री जगन लाल गुप्ता विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः–जगन लाल कज्जूमल, उदयपुरा रोड, मेहन्दीपुर बालाजी तह. सिकराय जिला दौसा, अप्रार्थी सं. 2 श्री शंकर लाल डंगायच प्रोपराईटर मैसर्सः– ओमप्रकाश एण्ड कम्पनी, 75, चान्दपोल बाजार जयपुर एवं अप्रार्थी सं. 3 श्री जितेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद नोमिनी **M/S- Goodhealtd Industries Pvt. Ltd. Infront Softa Govt. School. Softa Road, Vill Softa, Tehsil & Distt. Palwal(Haryana)** पर 11000/ – रूपये (अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.04.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मनोहर लाल पुत्र श्री जगन लाल गुप्ता विक्रेता एवं मालिक
   मैसर्सः– जगन लाल कज्जूमल, उदयपुरा रोड, मेहन्दीपुर बालाजी तह. सिकराय जिला दौसा।
4. श्री शंकर लाल डंगायच प्रोपराईटर
   मैसर्सः– ओमप्रकाश एण्ड कम्पनी, 75, चान्दपोल बाजार जयपुर।
5. श्री जितेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद नोमिनी
   M/S- Goodhealtd Industries Pvt. Ltd. Infront Softa Govt. School. Softa Road, Vill Softa, Tehsil & Distt. Palwal(Haryana)
6. **M/S- Goodhealth Industries Pvt. Ltd. Infront Softa Govt. School. Softa Road, Vill Softa, Tehsil & Distt. Palwal(Haryana)**

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official